


27/1/2020

एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
वध वकील उभयपक्ष पर गौर किया। वकील
उभयपक्ष द्वारा मुताबिक कुरैजात प्रस्ताव दावा
आन्वित रूप से डिक्ली किये जाने में कोई
आपत्ति पेश नहीं की गयी। अतः हम दावा
वादी मुताबिक कुरैजात प्रस्ताव आन्वित रूप
से डिक्ली किया जाना उचित समझते हैं।


अतः आदेश है कि दावा वादी
मुताबिक कुरैजात प्रस्ताव इस प्रकार से अन्वित
रूप से डिक्ली किया जाता है कि वादी
शिवरत्न पुत्र रामपाल वर्म जाटव सा०
महालीत का पुरा खातेदार के हिस्से में आ०
ख० नं० 1131/3 रकबा 0-07 बीघा पश्चिम दिशा,
ख० नं० 1136/3 रकबा 0-05 बीघा पूर्व दिशा, ख०
नं० 1137/3 रकबा 0-05 बीघा पूर्व दिशा, रहेगी।
इसी प्रकार रामखिलाड़ी पुत्र अमर सिंह हि० 3/4
सामन्ती पत्नी रामखिलाड़ी हि० 1/4 वर्म जाटव
सा० महालीत का पुरा के हिस्से में आ० ख० नं०
1131/1, रकबा 0-16 बीघा पूर्व दिशा, ख० नं०
1136/1, रकबा 0-11 बीघा पश्चिम दिशा, ख० नं० 1137/1
रकबा 0-08 पश्चिम दिशा रहेगी। रामखिलाड़ी व
सामन्ती का हिस्सा पूर्वानुसार सह० ग्राम विकास
बैंक लि० शाखा राजखेड़ा में रहन दर्ज रहेगी।
इसी प्रकार इन्द्रसिंह पुत्र विरवा हि० 3/20
व हाकिम सिंह पुत्र विरवा हि० 7/20 व
मीरा पत्नी व रामनिवास, संजय, वीरपाल, भीमलाल
रामदीन पुत्र व रामा पुत्री हि० सुन्दर सिंह

No objection



Mohd. Javed
27/1/2020





जज अदालत

उपरखंड अधिकारी
शिवचल

मुकाम

राजकोष

बनाम

रामाखिलाज

किस्म मुकदमा

दावा

नम्बर

34/15

सन्

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जा इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>दि० व. न/20 व मीना पत्नी व प्रदीप, लोकेश पुत्रान पि० भरत सिंह दि० 3/20 फॉर्म जाए खा० महाजीतका पुरा खतेदार डोटेसहे में आ० ख. नं० 1131/2 रकबा 0-11 बीघा मध्य में, ख० नं० 1136/2 रकबा 0-08 बीघा मध्य में, ख० नं० 1137/2 रकबा 0-07 बीघा मध्य में कुल खिा-3 कुल रकबा 1-06 बीघा रहेगी। अतः स्थल प्रारणी ग्राम नाहिला तहसील राजकोष में स्थित ई तहसीलदार राजकोष को उपरोक्त खत राजख रिकार्ड में पुपक-पुपक खते कापम दिने जाने के आदेश दिये जाते हैं फर्मा डिही नियमानुसार जारी हो। पचावली फिल्ल सुमार लेकर दायित्व दफ्तर हो। हुकम सुनाया गया।</p> <p>२६</p>	